(रा.प्र. राजस्व अभिलेख नियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सिवाना जिला बालोतरा
(राजस्थान)

विषय :- राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम रेलीकीदाणी की जमाबन्दी सम्वत् 2081 के खाता संख्या 67 में मेरा/हमारे नाम जुगताराम पुत्र रामाराम दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम जगदीश कुमार पुत्र रामाराम है।

अतः उक्त दुरूस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें ।

दिनांक :-

रूपाराम
उमाराम
हरिसिंह
भीमाराम

जगदीश कुमार
हस्ताक्षर प्रार्थी/प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक

महोदयश्री विदित है कि प्रार्थी के रेलो की ढाणी के खसरा नं-180 में प्रार्थी का नाम जुगतराम पुत्र रामाराम दर्ज है जो गलत दर्ज होगया प्रार्थी के सलंग्न दस्तावेज आधार कार्ड जगदीश कुमार पुत्र रामाराम दर्ज है अतः प्रार्थी का नाम जुगतराम पुत्र रामाराम के बजाय जगदीश कुमार पुत्र रामाराम किया जाना उचित है।

14.10.25
पटवारी (भू. अ.) कुडल

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरूस्ती किया जाना उचित हैं ।

तहसीलदार सिवाना
तहसीलदार (भू.अ.) सिवाना

Case No. 2025/658

आदेश

क्रमांक / वाद./2025/सिवाना 2502 दिनांक 17.10.2025

रिपोर्ट तहसीलदार सिवाना अनुसार ग्राम रेलो रीकीदाणी की जमाबन्दी संवत् 2081 के खाता संख्या 67 में जुगताराम पुत्र [illegible] के बजाय जगदीश कुमार पुत्र रामाराम [illegible] की जाती हैं [illegible] दरमाद की कार्यवाही की जावे ।

उपखण्ड अधिकारी सिवाना
उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.01 17:59:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner